दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

(ऊर्जा भवन, 220 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सिकन्दरा, बाई पास रोड, आगरा-(282007)

पत्रांक : 7514 / द0वि0वि0नि0लि0 / आगरा / पोर्टल / जी0एस0टी0 दिनांक 13 / 07 / 2022

कार्यालय ज्ञाप

वर्तमान में निवेश मित्र पोर्टल / झटपट पोर्टल / पी0टी0डब्लू0 पोर्टल (तीन पोर्टलों) के माध्यम से निगम अधीनस्थ सम्बन्धित इकाई द्वारा निर्गत होने वाले संयोजनों के सापेक्ष विभिन्न मदों की धनराशि का एवं इकाई स्तर पर हो रही प्राप्तियों का यथोचित लेखांकन सम्बन्धित इकाई स्तर पर किया जाना होता है एवं उसमें शामिल जी0एस0टी0 की राशि को सरकारी कोष में जमा कराने जाने हेतु इकाई द्वारा निधि माँग निगम मुख्यालय से की जाती रही है एवं निधि मांग के सापेक्ष प्राप्त धनराशि या इकाई स्तर पर उपलब्ध / प्राप्त राशि से सम्बन्धित इकाई द्वारा जी0एस0टी0 की देयता का निस्तारण किया जाता रहा है।

केन्द्रीय भुगतान व्यवस्था लागू होने के उपरान्त फर्मों को किये जा रहे भुगतान के सापेक्ष ई0आर0पी0 जनित रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कटौतियों का भुगतान केन्द्रीयकृत रूप से निगम मुख्यालय स्तर से किया जा रहा है जबकि प्राप्तियों की राशि, जो कि ई0आर0पी0 प्रणाली में जी0एस0टी0 अधिनियम के अनुरूप पूर्णतः समाहित नहीं है, के सापेक्ष वैधानिक देयता (जी0एस0टी0 इत्यादि) को भी निगम मुख्यालय स्तर से जमा कराये जाने की अपेक्षा उच्च प्रबन्धन द्वारा निरन्तर की जा रही है।

अतः एतत्द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्राप्तियों पर जी0एस0टी0 की देयताओं के भुगतान भी सम्बन्धित इकाई के स्थान पर निगम मुख्यालय स्तर पर लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान) इकाई से कराये जाने हेतु निम्नवत् व्यवस्था आदेशित की जाती हैः–

1. निवेश मित्र पोर्टल / झटपट पोर्टल / पी0टी0डब्लू0 पोर्टल (तीन पोर्टलों) से सम्बन्धित प्राप्तियों में सम्मिलित जी0एस0टी0 की राशि को सरकारी कोष में जमा कराने की कार्यवाही एवं इन प्राप्तियों मे शामिल पंजीकृत (बी2बी) संव्यवहारों के सापेक्ष **ई–इनवॉइस** बनाने सम्बन्धी औपचारिकताऐं, **सम्बन्धित इकाई के स्थान पर, निगम मुख्यालय स्तर पर** सम्पादित की जायें। अर्थात इनके सापेक्ष इनवॉइस व ई–इनवॉइस भी सम्बन्धित इकाई स्तर से जनित **नहीं** किये जाने है।

2. उक्त तीन पोर्टलों के अतिरिक्त, इकाई सम्बन्धी अन्य सभी प्राप्तियों के सापेक्ष जी0एस0टी0 की देयता को भी **सम्बन्धित इकाई के स्थान पर निगम मुख्यालय स्तर से** ही जमा कराया जायें। जबकि इनके सापेक्ष **पूर्व की भाँति** इनवॉइस व ई–इनवॉइस सम्बन्धित इकाई स्तर से ही जनित किये जाने है।

उक्त प्राप्तियों के सम्बन्ध में निम्नवत् पुनः स्पष्ट किया जाता हैः–

- सम्बन्धित इकाई द्वारा प्राप्तियों सम्बन्धी लेखांकन **पूर्व की भाँति ही** किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं जी0एस0टी0 की धनराशि भी **कार्यालय ज्ञाप 792 / द0वि0वि0नि0लि0 / आ0 दिनांक 25.01.2022** के अनुरूप निगम मुख्यालय के बैंक खाते में प्रेषित की जाये।

प्राप्तियाँ सम्बन्धी लेखाशीर्षे 47,48,55,61,62 इत्यादि एवं जी0एस0टी0 सम्बन्धी लेखाशीर्षो 46.94101 / 02 / 03 में **क्रेडिट** तथा इकाई के बैंक खाते में धनराशि प्राप्त होने पर लेखाशीर्ष 24 व निगम मुख्यालय के बैंक खाते में धनराशि प्राप्त होने पर लेखाशीर्ष 33 में **डेबिट**

- जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ द्वारा जी0एस0टी0 की देयता व इनपुट टैक्स क्रेडिट का आंकलन तथा जी0एस0टी0आर0–1 / 3ब दाखिल करने की कार्यवाही निम्न आधार पर सम्पादित की जायें:–
  - **तीन पोर्टलों के सापेक्षः** इस निमित्त नियुक्त सीए0 फर्म से प्राप्त ई–इनवॉइस / जी0एस0टी0 डेटा के आधार पर, तथा
  - **उक्त तीन पोर्टलों के अतिरिक्तः** सम्बन्धित इकाईयों से पूर्व की भाँति द0वि0वि0नि0लि0 की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त जी0एस0टी0आर0–1 / 3ब की मासिक विवरणी के आधार पर,
- मुख्यालय भुगतान इकाई द्वारा उक्त आंकलित जी0एस0टी0 की देयता को सरकारी कोष में जमा करा कर, सम्बन्धित इकाईयों को लेखाशीर्ष 37.42 में सविवरण आई0यू0टी0 प्रेषित की जाये, जिसके सापेक्ष लेखाशीर्ष 46.94101 / 02 / 03 में डेबिट तथा लेखाशीर्ष 37.42 में (कर भुगतान की राशि से) व लेखाशीर्ष 46.94301 / 02 / 03 में (समायोजित इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से) क्रेडिट करते हुये यथोचित लेखांकन सम्बन्धित इकाई स्तर पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाये।

उक्त आदेशों का अनुपालन माह जून 2022 के जी0एस0टी0आर0–1 / 3ब, जिसकी जी0एस0टी0 की देयता के भुगतान की अन्तिम तिथि वर्तमान–माह जुलाई 2022 में है, से सुनिश्चित किया जाये। अग्रेतर पूर्व में समय–समय पर निर्गत जी0एस0टी0 सम्बन्धी आदेशों को उक्त आदेशों की सीमा तक ही संशोधित समझा जायें।

(अमित किशोर)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 7514 / द0वि0वि0नि0लि0 / आगरा / पोर्टल / जी0एस0टी0 तद्दिनांक 13 / 07 / 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक, (वित्त / तकनीकी / वाणिज्य / का0प्र0 एवं प्रशा0 / वितरण), उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक, (वित्त / तकनीकी / वाणिज्य / का0प्र0 एवं प्रशा0), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कॉरपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता / अधिशासी अभियन्ता, द0वि0वि0नि0लि0।
5. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, अंचल लेखा कार्यालय, द0वि0वि0नि0लि0।
6. लेखाधिकारी (निवेश मित्र / मुख्यालय भुगतान / जी0एस0टी0 प्रकोष्ठ), द0वि0वि0नि0लि0, आगरा।

(अमित किशोर)
प्रबन्ध निदेशक